

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, करना

प्रकरण सं.:-150/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1374

दिनांक:- 4.6.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी करना एवं भू.अ.नि.भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 25 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चम्पा भाखरी	25	262	बांका पुत्र मूला	बांकाराम पुत्र मूलाराम <u>शेष बदुस्तर</u>

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 4.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1375-1375

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बांकाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी